न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारी: गितेश श्री मालवीया, आर.ए.एस.)

प्रार्थी

1. बाबा पुत्र रुपाजी, जाति– मेघवाल, निवासी– भूतगांव, तह. व जिला– सिरोही
2. देवाराम पुत्र रुपाजी, जाति– मेघवाल, निवासी– भूतगांव, तह. व जिला– सिरोही

बनाम

अप्रार्थी

1. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सिरोही
2. ग्राम पंचायत, भूतगांव, जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत, भूतगांव, तह. व जिला–सिरोही

पंचायत निगरानी संख्या: 58/2020

"निगरानी आवेदन अर्न्तगत धारा 97(1) राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994"

उपस्थिति:

1. अधिवक्ता श्री नगेन्द्र कुमार मेड़तिया, प्रार्थी की ओर से
2. अधिवक्ता श्री दिलीप राजपुरोहित, अप्रार्थी संख्या– 2 की ओर से

–: निर्णय :– दिनांक 17 फरवरी, 2021

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थीगण की ओर से यह निगरानी आवेदन विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सिरोही द्वारा ग्राम पंचायत, भूतगांव के सरपंच/ग्राम विकास अधिकारनी को प्रार्थीगण का अतिक्रमण हटाने की नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु जारी पत्र क्रमांक:पंससि/पंचायत/2020/324 दिनांक 07.10.2020 एवं इसके अनुसरण में ग्राम पंचायत, भूतगांव द्वारा प्रार्थीगण का अतिक्रमण हटाने बाबत की जा रही को निरस्त कराने हेतु अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है।

(2) प्रस्तुत निगरानी आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। जिस पर निगरानी आवेदन की सुनवाई के दौरान नियत सुनवाई तिथि 26.10.2020 व 28.10.2020 को अप्रार्थी संख्या–1 की ओर से श्री मनमोहन मीणा, अतिरिक्त विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सिरोही उपस्थित हुये, उसके बाद अप्रार्थी संख्या–1 की ओर से कोई उपस्थित नही हुआ। जबकि निगरानी आवेदन की सुनवाई के दौरान अप्रार्थी संख्या–2 की ओर से अधिवक्ता श्री दिलीप राजपुरोहित उपस्थित हुये एवं अप्रार्थी संख्या–2 की ओर से लिखित जवाब प्रस्तुत किया। प्रकरण की सुनवाई के दौरान अप्रार्थी संख्या–2 के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र आदेश 39 नियम 7 सी.पी.सी. व सपठित धारा 151 सी.पी.सी. के तहत प्रस्तुत किया। जिस पर बाद सुनवाई पक्षकारान इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.10.2020 के द्वारा तहसीलदार, सिरोही को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर प्रश्नगत भूमि व अडौस–पडौस की भूमि के मौके की वास्तविक स्थिति की रिपोर्ट मय नजरी नक्शे के तलब की गई। प्रकरण में तहसीलदार, सिरोही के पत्र संख्या:राजस्व/2528 दिनांक 10.11.2020 से मौका कमिश्नर रिपोर्ट प्राप्त हुई।

(3) प्रकरण में प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री मेड़तिया व अप्रार्थी संख्या– 2 के विद्वान अधिवक्ता श्री राजपुरोहित की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने निगरानी आवेदन [illegible] आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रार्थीगण के स्वामित्व तथा क[illegible] का [illegible]ासीय मकान व भूखण्ड ग्राम भूतगांव में मेघवालों के वास [illegible] चतुर्दिशा उत्तर में खालसा भूमि वर्तमान में शांतिलाल पुत्र चमनाजी मेघवाल का [illegible], दक्षिण में वजा पुत्र [illegible] मेघवाल का मकान, पूर्व में भद[illegible] की भूमि व पश्चिम दिशा में आम रास्ता [illegible]वाजा, रास्ता

...पेज दो पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2021.06.09 17:06:34 IST
Reason: SelfAttested

सिरोही (राज.)

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

चौडा 8 फीट चौडाई में है व नाप उत्तर–दक्षिण 45 वर्गफीट व पूर्व–पश्चिम 21 फीट कुल 945 वर्गफीट है। इस नाप व चतुर्दशी का ग्राम पंचायत, भूतगांव द्वारा प्रार्थी बाबा पुत्र रुपाजी, जाति– मेघवाल, निवासी– भूतगांव के नाम से जारी किया है। प्रार्थीगण के पट्टाशुदा भूमि में आगे के भाग में बाथरुम व दिवार बनी हुई है तथा पीछे के भाग में आवासीय मकान बना हुआ है। प्रार्थीगण का उक्त आवासीय मकान अडौस–पडौस के अन्य मकानों की बिल्डिंग लाईन में बना हुआ है। प्रार्थीगण की उक्त सम्पति के उत्तर दिशा की तरफ श्री शांतिलाल पुत्र चमनाजी मेघवाल का आवासीय मकान पक्का बना हुआ है, उसके आगे उत्तर में अन्य आवासीय मकान बने हुए है। श्री शांतिलाल पुत्र चमनाजी मेघवाल व उसके लगते अन्य मकानों की बिल्डिंग लाईन में प्रार्थीगण का मकान बना हुआ है, जो पुराने समय से है। प्रार्थीगण ने आम रास्ते की भूमि पर कोई अतिक्रमण नही किया है तथा न ही कोई निर्माण किया है। प्रार्थीगण के मकान के आगे दक्षिण दिशा में भटावा अरठ का खेत आया हुआ है, जहां आगे जाकर उक्त रास्ता/गली बन्द होती है। यह कि प्रार्थीगण के आवासीय मकान के सामने की तरफ श्री मगनलाल पुत्र प्रागाजी, हिदाराम पुत्र प्रागाजी तथा शंकरलाल पुत्र केसाराम मेघवाल द्वारा अभी अभी नये आवासीय मकान बनाये है, जिन्होनें आम रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण कर निर्माण किया है। प्रार्थीगण के मकान के पश्चिम दिशा में मौके पर गली की लम्बाई 10 फीट 7 इन्च से ज्यादा चौडी है जो पट्टे में अंकित नाप 8 फीट से ज्यादा चौडी है, जबकि उक्त प्रार्थीगण के मकान के सामने वाले मगनलाल पुत्र प्रागाजी, हिदाराम पुत्र प्रागाजी, शंकर पुत्र जेसाजी व मोहन पुत्र केसाजी के मकान के आगे दक्षिण दिशा में गली की चौडाई मात्र 6 फीट 4 इन्च है और इन व्यक्तियों ने रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण किया है जो प्रभावशाली व्यक्ति होने से ग्राम पंचायत, भूतगांव ने इनके अतिक्रमण हटाने हेतु कोई कार्यवाही नही की है। अतः प्रार्थीगण को निगरानी आवेदन स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण के विरुद्ध ग्राम पंचायत, भूतगांव द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही को निरस्त किया जावे। जबकि अप्रार्थी संख्या– 2 के अधिवक्ता ने बहस के दौरान जबाव में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि ग्राम पंचायत, भूतगांव द्वारा प्रार्थी संख्या–1 (बाबाराम) को पट्टा संख्या 13 दिनांक 18.12.1982 को जारी किया गया है, लेकिन प्रार्थीगण द्वारा पट्टे में वर्णित भूमि से अधिक भूमि पर अतिक्रमण कर निर्माण कार्य करवाया है। प्रार्थीगण का मकान बिल्डिंग लाईन में न होकर प्रार्थीगण ने पट्टा संख्या 13 में अंकित नाप 945 वर्गफीट से अधिक भूमि पर अतिक्रमण कर मकान का निर्माण कार्य करवाया है एवं प्रार्थीगण द्वारा सार्वजनिक रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण कर निर्माण करवाया है। यह कि उपखण्ड अधिकारी, सिरोही को प्रार्थीगण द्वारा अवैध अतिक्रमण की शिकायत प्राप्त होने पर उनके द्वारा इस संबंध में निष्पक्ष व वास्तविक जांच हेतु विकास अधिकारी, पंचायत समिति सिरोही को निर्देशित किया गया। जिस पर विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सिरोही द्वारा सहायक विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सिरोही से जांच करवाई गई। सहायक विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सिरोही द्वारा मौके का निरीक्षण कर मौका जांच रिपोर्ट तैयार की गई है, जिसमें प्रार्थीगण द्वारा रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण कर निर्माण कार्य किये जाने का अंकन किया है। इस न्यायालय द्वारा कमिश्नर नियुक्त कर मंगवाई गई मौका रिपोर्ट में भी प्रार्थीगण द्वारा पट्टे से अधिक नाप की भूमि व आम रास्ते की भूमि में अतिक्रमण कर निर्माण किया जाना स्पष्ट रुप से अंकित किया है। प्रार्थीगण ने निगरानी में मगनलाल पुत्र प्रागाजी, हिदाराम पुत्र प्रागाजी व शंकरलाल पुत्र केसाराम मेघवाल के संबंध में कथन किया है, लेकिन प्रार्थीगण ने इन व्यक्तियों को निगरानी आवेदन में पक्षकार नही बनाया है। विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सिरोही व पंचायत प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति, सिरोही से करवाई गई मौका जांच व इस न्यायालय द्वारा नियुक्त कमिश्नर

.....पेज तीन पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2021.06.09 17:06:34 IST
Reason: SelfAttested

सिरोही (राज.)

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.

तहसीलदार, सिरोही द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट से यह भी स्पष्ट है कि उक्त व्यक्तियों ने अपने मकान उनको ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टे की भूमि पर पट्टे में वर्णित नाप अनुसार ही बनाये है, लेकिन प्रार्थीगण ने अपने पट्टे से अधिक भूमि पर अतिक्रमण कर अवैध निर्माण कार्य करवाया है। अप्रार्थी संख्या– 2 के अधिवक्ता ने बहस के दौरान यह भी व्यक्त किया कि प्रार्थीगण द्वारा मौके पर उत्तर दिशा में 54 फीट, दक्षिण दिशा 53 फीट, पूर्व दिशा में 26 फीट व पश्चिम दिशा में 26 फीट भूमि पर निर्माण कार्य करवाया हुआ है। इस प्रकार, प्रार्थीगण ने अपने पट्टे की भूमि से अतिरिक्त रास्ते की तरफ उत्तर दिशा में 9 फीट, दक्षिण दिशा में 8 फीट व पूर्व दिशा में 26 फीट व पश्चिम दिशा में 26 फीट भूमि पर अतिक्रमण किया हुआ है, जिसकी पुष्टि सहायक विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सिरोही की मौका जांच रिपोर्ट व तहसीलदार, सिरोही द्वारा प्रस्तुत मौका कमिश्नर रिपोर्ट से होती है। यह कि पुरानी आबादी का ग्राम पंचायत के पास कोई प्लान या नक्शा नही है। पुरानी आबादी में स्थित आवासीय मकानों के पट्टे ग्राम पंचायत, भूतगांव द्वारा पूर्व में मौके पर निर्मित मकान व कब्जे अनुसार ही जारी किये थे, इसलिये कही पर रास्ते की चौडाई कम ज्यादा व आगे पीछे है। प्रार्थीगण ने बहस के दौरान यह भी व्यक्त किया कि प्रार्थीगण को सर्वप्रथम दिनाक 26.11.2018 को अतिक्रमण हटाने हेतु ग्राम पंचायत ने नोटिस दिया था परन्तु उसके बावजूद भी प्रार्थीगण ने अतिक्रमण नही हटाया। जिस पर ग्राम पंचायत, भूतगांव द्वारा अतिक्रमण हटाने हेतु पुलिस इमदाद उपलब्ध करवाने हेतु दिनांक 06.2.2019 को उपखण्ड अधिकारी, सिरोही को पत्र लिखा गया एवं उपखण्ड अधिकारी, सिरोही द्वारा दिनांक 25.2.2019 को पुलिस अधीक्षक, सिरोही को पत्र प्रेषित कर प्रार्थीगण द्वारा किये गये अवैध अतिक्रमण को हटाने हेतु पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया, लेकिन किसी कारण प्रार्थीगण का अतिक्रमण उस समय नही हटाया जा सका, जिसको हटाने हेतु वर्तमान में आदेश किया गया है। प्रार्थीगण ने पूर्व में ग्राम पंचायत, भूतगांव द्वारा प्रार्थीगण को अतिक्रमण हटाने बाबत जारी नोटिस को किसी भी न्यायालय में चुनौती नही है, इसलिये प्रार्थीगण अब किसी भी प्रकार की राहत प्राप्त करने के अधिकारी नही है। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 165 के जरिये ग्राम पंचायत को उनके क्षेत्राधिकार में किये गये प्रत्येक अतिक्रमण को हटाने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है, इसलिये इस निगरानी याचिका के जरिये प्रार्थीगण ग्राम पंचायत के अधिकार को खत्म नही कर सकते है। अतः प्रार्थीगण का निगरानी आवेदन खारिज किया जावे। अप्रार्थी संख्या–2 के अधिवक्ता के कथनों में प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने यह व्यक्त किया कि प्रार्थीगण ने ग्राम पंचायत, भूतगांव के विरुद्ध राहत प्राप्त करने हेतु यह निगरानी आवेदन प्रस्तुत किया है, जिसमें उक्त श्री मगनलाल व अन्य को पक्षकारन बनाये की कोई आवश्यकता नही है। प्रार्थीगण का कब्जा व निर्माण कार्य पुराना है व प्रार्थीगण ने पुराने पक्के निर्माण कार्य के अलावा अन्य नही किसी भूमि के लिये कोई क्लेम नही किया है। प्रार्थीगण का निर्माण कार्य वर्ष 2016 से पूर्व का होने से प्रार्थीगण अपने पुराने कब्जे की भूमि का नियमन कराने के हकदार है।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि श्री शंकरलाल पुत्र केसाजी मेघवाल, निवासी– भूतगांव व अन्य द्वारा उपखण्ड अधिकारी, सिरोही को आम रास्ते से अवैध निर्माण हटवाने के संबंध में शिकायत की प्रस्तुत की गई, जिसकी विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सिरोही द्वारा सहायक विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सिरोही से मौका जांच करवाई गई। सहायक विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सिरोही की मौका रिपोर्ट के अनुसार देवाराम पुत्र रुपाजी, जाति– मेघवाल, निवासी– भूतगांव ने व बाबूराम पुत्र रुपाजी मेघवाल, निवासी–

....पेज चार पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2021.06.09 17:06:34 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज)

भूतगांव के नाम ग्राम पंचायत, भूतगांव द्वारा जारी पट्टा संख्या 13 दिनांक 18.12.982 की भूमि पर इस पट्टे में अंकित नाप से अधिक भूमि पर पश्चिम दिशा में स्थित गली (आम रास्ता) जो 8 फीट चौडा है पर करीब 2 से 2.5 फीट भूमि पर ईंट–पत्थर रखकर अतिक्रमण किया हुआ है जिसमें परिवादियों को आने–जाने में समस्या हो रही है। सहायक विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सिरोही की इस जांच रिपोर्ट पर विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सिरोही के पत्र संख्या:पंससि / पंचायंत / 2020 / 324 दिनांक 07.10.2020 से ग्राम पंचायत, भूतगांव के सरपंच / ग्राम विकास अधिकारी को अतिक्रमण हटाने की नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध पट्टा संख्या 13 दिनांक 18.12.1982 (जो ग्राम पंचायत, भूतगांव द्वारा बाबा पुत्र रुपाजी, जाति– मेघवाल, निवासी– भूतगांव के पक्ष में जारी किया गया है) की छाया प्रति का अवलोकन करने पर यह पाया गया कि ग्राम पंचायत, भूतगांव द्वारा बाबा पुत्र रुपाजी, जाति– मेघवाल, निवासी– भूतगांव को जारी उक्त पट्टा संख्या 13 दिनांक 18.12.1982 की भूमि का नाप पूर्व–पश्चिम नाप 21 फीट व उत्तर–दक्षिण में 45 फीट है तथा चतुर्दशी पूर्व में भटावा का जाव, पश्चिम में आम रास्ता सदर दरवाजा एक चौडा रास्ता 8 फीट, उत्तर में खालसा गली व दक्षिण में वजा, मोड़ा का मकान स्थित है।

पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार, सिरोही की मौका रिपोर्ट (जो तहसीलदार, सिरोही के पत्र क्रमांक / राजस्व / 2020 / 2528 दिनांक 10.11.2020 से इस न्यायालय को प्राप्त हुई है) के अवलोकन से भी यह स्पष्ट है कि प्रार्थीगण ने उक्त पट्टा संख्या 13 दिनांक 18.12.1982 में अंकित नाप से अधिक भूमि व रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण किया है। जबकि उक्त पट्टा संख्या 13 दिनांक 18.12.1982 में अंकित चतुर्दशी में पश्चिम दिशा में 8 फीट चौडा रास्ता होना दर्शाया है।

अतः प्रार्थीगण का निगरानी आवेदन आंशिक रुप से स्वीकार कर प्रकरण ग्राम पंचायत, भूतगांव को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया है कि ग्राम पंचायत, भूतगांव द्वारा बाबा पुत्र रुपाजी मेघवाल, निवासी– भूतगांव को जारी पट्टा संख्या 13 दिनांक 18.12.1982 में अंकित चतुर्दशी अनुसार पश्चिम दिशा की ओर स्थित 8 (आठ) फीट चौडा रास्ता बहाल करने की नियमानुसार कार्यवाही करे। निर्णय सुनाया गया।

17/2/2021

(गितेश श्री मालवीया)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सिरोही

सिरोही (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2021.06.09 17:06:34 IST
Reason: SelfAttested